अनौपचारिक रूप से परामर्शित

पत्रांक–RSCCL/11kV HEC/95/2018...../129

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०)
झारखण्ड, राँची।

द्वारा : आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2017–20 के दौरान केन्द्र प्रायोजित राँची स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत HEC के द्वारा हस्तांतरित किए गए क्षेत्र में HEC के existing 2nos 11 kV line को underground power cable के माध्यम से shifting का कार्य करने हेतु मे० झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, राँची से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल 2,48,11,601/–(दो करोड़ अढ़तालीस लाख ग्यारह हजार छः सौ एक) रू0 मात्र की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्र प्रायोजित राँची स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र में उक्त HEC के existing 2nos 11 kV line को underground power cable के माध्यम से shifting करने का कार्य मे. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, राँची से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलित कुल राशि रू0 2,48,11,601/–(दो करोड़ अढ़तालीस लाख ग्यारह हजार छः सौ एक) रू0 की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए आवंटित की जाती है, जिसका ब्यौरा निम्नवत् है:–

Sl. No.	Name of Work	Estimate No	Amount
	Estimate for shifting of 11kV line, from the proposed premises of Smart City under Electric Supply Section HEC (N) under Deposit head.	06/RESA/Dep/2018-19	2,48,11,601.00
		Total	**2,48,11,601.00**

2. उक्त HEC के existing 2nos 11 kV line को underground power cable के माध्यम से shifting करने हेतु झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को रू0 2,48,11,601/–(दो करोड़ अढ़तालीस लाख ग्यारह हजार छः सौ एक) भुगतान किया जाना है।

3. स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 "मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्य शीर्ष–80 सामान्य–लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उपशीर्ष–75–स्मार्ट सिटि–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79 –सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन), विपत्र कोड–48C221780796750679" अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची से की जायेगी।

5. अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड उक्त निकासी की गई राशि का सर्वश्री झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, राँची के खाते में RTGS/PFMS के द्वारा भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

Jaykum

6. उपरोक्त कार्य HEC के द्वारा किर्यान्वित किया जाना था, परन्तु HEC द्वारा इस कार्य को करने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण यह कार्य राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा कराया जा रहा है, जिसका कियान्वयन झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, राँची के द्वारा किया जायेगा। उक्त कार्य में व्यय हुए राशि का सामंजन HEC को भविष्य में जमीन के भुगतान के विरूद्ध देय राशि से किया जायेगा।

7. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड उक्त कार्य की प्रगति की सूचना समय–समय पर राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड को देंगे।

8. इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा जारी किए दिशा–निर्देश, प्रासंगिक विभागीय संकल्प विभागीय अधिसूचना, मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (HPSC) एवं राज्य मिशन निदेशालय द्वारा समय–समय पर जारी मार्गदर्शन के आलोक में किया जाएगा।

9. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को जाँच करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0–2561 दिनांक–17.04.1998 में सन्निहित प्रकियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहिप प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

11. प्रस्ताव एवं स्वीकृति आदेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या–759/वि0 दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि0 दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– RSCCL/11kV HEC/95/2018.....129. राँची, दिनांक 22/10/18

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, एच०ई०सी० लिमिटेड/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/संचुक्त सचिव (योजना), नगर विकास एवं आवास विभाग/ अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड राँची/मुख्य कार्यपालक पदाधिकरी, राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।